ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-2* March- 2019
Innovation The Research Concept

महिला सशक्तीकरण–बदलती तस्वीर

अन्जू
सहायक आचार्य
समाजशास्त्र विभाग
दी0 द0 उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

प्रस्तावना

'' यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता ''

श्लोक से प्रतीत होता है कि देवताओं के रमण का काल सम्भवतया नारी के इतिहास का स्वर्णिम काल रहा होगा। मनुस्मृति के परवर्ती काल मे नारी की यह स्थिति दृष्टिगोचर नही होती हैं। वैदिक काल के पश्चात मानव समाज मे ऐसी सांस्कृतिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यो का विकास हुआ जिन्होने नारी के अस्तित्व एवं प्रास्थिति पर अनेको प्रश्न चिन्ह लगा दिये। नारी को देवी का स्वरूप वाले पितृसत्तात्मक समाज ने घर की चार दीवारी के अन्दर व बाहर धर्म, संस्कारो एवं प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसे बन्धन लगाये है जिन्हे पूर्ण रूपेण तोड़कर स्वमं को सशक्तीकृत करना उसके लिये अभी तक सम्भव नही हुआ है। [1]

किसी भी राष्ट्र या समाज के समग्र एवं सन्तुलित विकास के लिये महिला वर्ग का राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा होना परम आवश्यक है। देश की आधी आबादी की पूर्ण सक्रियता एवं सहभागिता ही सम्बन्धित समाज के समूचे विकास की पूर्व शर्त है। अमेरिका विद्वान टॉकविल के कथानुसार – अमेरिकी महिलाओं की सर्वोपरिता ही अमेरिकी लोकतंत्र की सुदृढ़ता एवं समृद्वि का प्रमुख आधार है।[2]

अर्मत्य सेन ने अपनी पाठ्य पुस्तक "Indian Economic Development And Social Opportunity " मे लिखा है '' महिला सशक्तीकरण से न केवल महिलाओं के जीवन मे निष्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरूषो एवं बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसलिये राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास शासन की गुणवत्ता एवं महिलाओं की सक्षमता दोनो पर निर्भर करता है।[3]

20वीं शताब्दी परिवर्तन एवं विकास की शताब्दी रही है इसी शताब्दी मे परे विश्व मे महिलाओं की स्थिति मे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है जिससे भारत भी अछूता नही रहा है। भारत मे जो महिला कभी घर की चाहरदीवारी और चूल्हा चौके तक ही सीमित थी वह आज देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर रहीं है। जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण का घोतक है। आज महिलाएं न्यायधीश, वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक, सम्पादक, पत्रकार, बैंकिगं व कारपोरेट जगत मे शीर्ष प्रबन्धक, कुशल उधोगपति, संगीतकार, फिल्म निर्माता, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के रूप मे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। आज महिलाओं ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की है और प्रत्येक क्षेत्र मे उसका प्रभाव परिलक्षित होने लगा है।

आज निजी क्षेत्र की कंम्पनियो मे कुल वर्कफोर्स की 24.5 फीसदी भागीदारी महिलाओं की है। सार्वजनिक क्षेत्र मे कम्पनियों मे महिलाओं की ये हिस्सेदारी तकरीबन 17.9 प्रतिशत है। देश की प्रत्यक्ष श्रमशक्ति मे 40 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष श्रमशक्ति मे 90 प्रतिशत योगदान महिलाओं का ही है एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत पूरी दुनिया को 13 करोड़ कर्मचारी प्रदान कर सकेगा। इस श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा महिलाएं होगीं। नाबार्ड के अधिकारियों के अनुसार देशभर मे करीब 75 लाख स्वयं सहायता समूह विभिन्न बैंकों से जुड़े है। इनमे से करीब 48 लाख को बैकों से सीधे ऋण की सुविधा हासिल है। इनमें से करीब 82 फीसदी समूह महिलाओं के है।

दूसरे सर्वे के अनुसार भारत मे कुल 9,95,144 लघुउद्योग उधमशील महिलाओं द्वारा संचालित है। स्वयंसहायता समूह बनाकर महिलांएं दूसरी सैकड़ो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। केरल मे ऐसे स्वयंसहायता समूहों के कारण आज वहॉ सौ प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। अपने अधिकारो के लिये सजग है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यो मे ग्रामीण महिलाएं आज स्वयंसहायता समूहों से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के अथक प्रयासों से देश मे शिक्षा की स्थिति मे काफी सुधार आया है। 2011 की जनगणना के ऑकड़ो के अनुसार भारत मे साक्षरता 74.04 प्रतिशत तक पहुॅच चुकी है। अब देश मे 82.14 प्रतिशत पुरूषो और 65.46 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 2001 और 2011 के बीच साक्षरता वृद्वि पुरूषों मे 9 प्रतिशत, महिलाओं मे 22 प्रतिशत और कुल 14 प्रतिशत रही हैं। शहरों मे 89.67 प्रतिशत पुरूष और 79 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। गॉवों मे भी 78.57 प्रतिशत पुरूष और 58.75 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हो चुकीं है। शहरों के 5 प्रतिशत की तुलना मे गॉवों मे साक्षरता वृद्वि दर 14 प्रतिशत रही है। दलितों मे साक्षरता 66.10 प्रतिशत है इस समुदाय मे 75.20 प्रतिशत पुरूष और 56.50 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है।[4]

महिला सशक्तीकरण हेतु संसद द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिये समय–2 पर कानूनों का प्रावधान किया गया है। जिसमे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, प्रसव–पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971,अनैतिक व्यापार निरोधक 1959(1986मे संशोधन), घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आदि महिलाओं के अधिकारो की रक्षा के लिये बनाये गये है।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को भी चलाया गया है जिसमे बालिका समृद्वि योजना 1997, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये विश्रामगृह योजना 1999, किशोरी शक्ति योजना 2000, स्वधार योजना 2001, सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 2003, कस्तूरबा गॉधी विशेष बालिका विद्यालय योजना 2004, उज्जवला योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005, बालिका प्रोत्साहन योजना 2006, जननी सुरक्षा योजना 2006, इन्दिरा गॉधी इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, समेकित बाल सरंक्षण योजना 2009, इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना 2010, सबला योजना 2012, कार्यरत महिला हास्टल योजना 2013, स्वयं सिद्वा योजना 2013 आदि है।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश मे बालिकाओं की कम सख्या की समस्या को दूर करने के लिये हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान की शुरूवात की। श्री मोदी का कहना है कि लोग पढ़ी–लिखी बहू घर मे लाना चाहते है लेकिन अपने बेटियों को शिक्षा दिलाने से पहले कई बार सोंचते है। इसलिये लोगों को इस दोहरी मानसिकता को छोड़ना होगा। इस योजना का उद्देश्य सम्बन्धित कानून को कड़ाई से लागू करके इसका उल्लंघन करने वालों के विरूध कड़ी सजा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया ताकि लोग लड़के–लड़कियों मे भेदभाव न कर सकें।

अब हालात बहुत बदल गये है हाल मे उत्तर प्रदेश मे ही ग्राम प्रधानों के चुनाव मे 40 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने जीत हासिल की। ये स्त्री सशक्तीकरण की ओर बढ़ रहे कदम की एक स्वाभाविक परिणति है। ऑकड़े बताते है कि सघं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं मे लड़कियां पहले से कहीं ज्यादा संख्या मे चयनित हो रही है, वह कहीं ज्यादा प्रशासनिक पदों पर आसीन हो रही हैं। फिल्मों एवं टी0 वी0 के जरिये महिलाऐं एक सशक्त छवि बना रही है। साथ ही महिलाओं के बीच खास तरह की चेतना एवं जागरूकता विकसित कर रही है। इसी के तहत मीडिया और तमाम न्यूज चैनल की महिला एंकर को भी रखना चाहिए, जिनकी उपस्थिति के चलते महिलाओं के मुद्दों को और संजीदगी के साथ सामने लाया जा रहा है।[5]

उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों मे जैसे तकनीकी और शिक्षा के प्रसार के साथ जागरूकता बढ़ेगी महिलाएं और भी जागरूक एवं सशक्त होंगी। स्त्री सशक्तीकरण का सीधा सम्बंध देश और समाज की खुशहाली से है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *महिला सशक्तीकरण, प्रियंका माथुर ज्योति प्रकाशन, जयपुर।*

2. *ग्राडं बूमेन एण्ड माइलेटी – विलियम मैथ्यू– द डेमोक्रेटिक फेमिली इन टाकविल, द रिव्यू आफ पोलिटीकल साइंस 1995।*
3. *प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2002।*
4. *''शिक्षा से आया ग्रामीण भारत मे समाजिक बदलाव '' पार्थिक कुमार , कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2015।*
5. *''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ '' महिला सशक्तीकरण की बदलती तस्वीर – संजय श्रीवास्तव, कुरूक्षेत्र जनवरी 2016।*